डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

असीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
दपत्र अन्तर्गत धाराः- 53, 188 आर.टी.ए. 1955
करण संख्याः- 275/2022

बुधा सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही बावरीयों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम्

1 वरयाम सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही बावरीयों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 अल्लूसिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही बावरीयों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
3 सन्ता सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह पुत्र दयाल सिह जाति बावरी निवासी वार्ड संख्या-5 डबलीबास मिढारोही बावरीयों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
4 सुखदेव सिह पुत्र मोहन सिंह पुत्र दयाल सिह जाति बावरी साकिन वार्ड नम्बर 5, डबलीबास मिढा रोही बावरीयों वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
5 प्रधान कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी फत्ता सिह जाति बावरी साकिन डबलीबास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ।
6 चन्दकौर पुत्री दयाल सिंह पत्नी तोता सिह जाति बावरी साकिन वार्ड नम्बर 6, ढाणी बावरीयों वाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
7 वीरकौर पुत्री दयाल सिंह पत्नी कीकर सिह जाति बावरी साकिन चक 6 एफडीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
9 भारतीय स्टेट बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक खुण्जा।
10 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ जक्शंन।
11 भारतीय स्टेट बैंक जरिऐ शाखा प्रबन्धक डबलीराठान।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मनोज शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरप्रीत पाल वकील प्रतिवादी सं. 2, 4 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.11.2024 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./3399 दिनांक 26.09.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया। वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 11 जेआरके में निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है किः- वादी बुधासिंह पुत्र दयाल सिंह का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 13 ता 17, 21 ता 25, प.न. 77/253 मु.न. 28 कि.न. 23/.063, 24/.253 कुल 2.846 हैक्टेयर (खाला 0.100 हैक्टेयर)। चंदकौर पुत्री

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

ल सिंह का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 1, 10, 11 प.न. 77/253 मु.न. कि.न. 23/.190 कुल 0.949 हैक्टेयर (कि.न. 11 मैं रास्ता 0.025 हैक्टेयर रास्ता कृत)। वरयाम सिंह पुत्र दयाल सिंह का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 3 ता 5 . 76/253 मु.न. 29 कि.न. 25/1/.190 कुल 0.949 हैक्टेयर। मोहनसिंह पुत्र दयालसिंह वारिसान का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 6/.228 नहरी व .025 खाला, 7/. 53, 8/.228 नहरी व .025 रास्ता, प.न. 77/253 मु.न. 28 कि.न. 21/1/.127, 22/1/. 53 हैक्टेयर। अल्लूसिंह पुत्र दयालसिंह का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 18, 9, 20 प.न. 77/253 मु.न. 28 कि.न. 22/2/.190 कुल .949 हैक्टेयर। वीरकौर पुत्री यालसिंह का रकबा- प.न. 79/254 मु.न. 34 कि.न. 2, 9, 12, प.न. 77/253 मु.न. 28 5.न. 21/2/.126 प.न. 76/253 मु.न. 29 कि.न. 25/2/.038 नहरी व .025 खाला कुल .948 हैक्टेयर। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग व रकमराज अलग ायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि ोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। र्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय थुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.11.2025 को जारी किया गया।

नोटः- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ